पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : **8400/अका./का.प/2019** रायपुर, दिनांक **26/03/2019**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पैंतालिसवीं बैठक मंगलवार, दिनांक 26.03.2019 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति — अध्यक्ष

1. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा – सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य
4. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
5. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य
6. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पांडेय – सदस्य
7. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य
8. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
9. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य
10. श्री ललित सुरजन – सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव — सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.02.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.02.2019 के अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण क्रमांक 6 (5) डॉ. गोविन्द प्रसाद साहू, एसिस्टेंट प्रोफेसर, पदभार ग्रहण तिथि 20.01.2017 के स्थान पर 12.01.2017 एवं परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि 20.01.2019 के स्थान पर 12.01.2019 का अनुमोदन करते हुए सम्पुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 23.02.2019 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव</u>

3. वित्तीय सत्र 2017–18 का वास्तविक आय–व्यय, 2018–19 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2019–20 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :वित्तीय सत्र 2017–18 का वास्तविक आय–व्यय, 2018–19 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2019–20 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन किया गया।

4. वित्तीय वर्ष 2011–12 का शेष पचास प्रतिशत अंकेक्षण शुल्क एवं विशेष अंकेक्षण गबन प्रकरण सत्र 2008–09 से 2011–12 तक का अंकेक्षण शुल्क का भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण शुल्क की भारित राशि रु. 1714060.00 का पचास प्रतिशत राशि रु. 857030.00 (आठ लाख संतावन हजार तीस रुपये मात्र) का भुगतान वि.वि. द्वारा किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2011–12 का शेष बकाया पचास प्रतिशत अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 857030.00 (आठ लाख संतावन हजार तीस रुपये मात्र) का भुगतान किया जाना है एवं विशेष अंकेक्षण गबन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में भारित अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 619002.00 (छः लाख उन्नीस हजार दो रुपये मात्र) भुगतान किया जाना है। इस प्रकार राशि रु. 857030/– एवं रु. 619002/– कुल राशि रु. 1476032.00 भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में दिनांक 01.01.2018 एवं 01.07.2018 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

निर्णय : **छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर के वित्त निर्देश 3/2019 एवं पत्र क्रमांक 132/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार अटल नगर, दिनांक 08.03.2019 के द्वारा राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जावें:–**

अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते की वृद्वि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 01.07.2018 से	 2% कुल 7% 2% कुल 9%

उक्त आदेशानुसार राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि बढे हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मार्च 2019 के वेतन (अप्रैल 2019 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर्स भुगतान पर पृथक से निर्णय लिए जाने का निर्देश है।

दिनांक 01.07.2018 से 7% के स्थान पर 9% बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान किए जाने पर वि0वि0 पर 11.20 लाख प्रतिमाह एवं 1.35 करोड वार्षिक का अतिरिक्त भार आएगा ।

अतः वि0वि0 कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता 5% के स्थान पर 9% माह मार्च 2019 के वेतन (अप्रैल 2019 को भुगतान योग्य) में जोड़ने हेतु मान्य करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

6. विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को राज्य शासन के नियमानुसार पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 01.01.2018 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें में 3% वृद्धि किए जाने के संबंध में।

निर्णय : **छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर के वित्त निर्देश 4/2019 एवं पत्र कमांक 134/एफ–2013–04–00416/वि/नि/चार अटल नगर, दिनांक 08.03.2019 के द्वारा राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरो को मूल पेंशन/परिवार पेंशन को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जावें:–**

अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते की वृद्वि का प्रतिशत
छठवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर दिनांक 01.01.2018 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3% कुल 142%

उक्त आदेशानुसार राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि बढे हुए महंगाई भत्ते की राशि का माह मार्च 2019 के वेतन (अप्रैल 2019 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा।

अतः वि0वि0 पेंशनरो/परिवार पेंशनर कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता 139% के स्थान पर 142% माह मार्च 2019 के वेतन (अप्रैल 2019 को भुगतान योग्य) में जोड़ने हेतु मान्य करते हुए सूचना ग्रहण की गई।

7. M.Phil. एवं Ph.D. के छात्रवृत्ति में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **M.Phil. एवं Ph.D. के शोधार्थियों को दिए जाने वाले प्रतिमाह छात्रवृत्ति में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव मान्य किया गया –**

क्र.	शोध उपाधि का नाम	वर्तमान में प्रदान की जाने वाली राशि प्रतिमाह	प्रस्तावित राशि प्रतिमाह
1	**M.Phil..**	1000/-	5000/-
2	**Ph.D**	4000/-	10,000/-

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव

8. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान के धारणाधिकार समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. शैलेन्द्र सराफ द्वारा प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान के पद पर दिनांक 07.03.2019 को पदभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप इन्हें स्वीकृत धारणाधिकार को दिनांक 07.03.2019 से समाप्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

9. विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 5029/अका./2011 दिनांक 07.10.2011 की टीप : 'पात्रतानुसार इकानॉमी क्लॉस पर हवाई यात्रा के लिए 1 माह पूर्व कुलपति से अनुमति लेना होगा' को पूर्व अनुमति हेतु 1 माह के स्थान पर 15 दिवस पूर्व करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **हवाई यात्रा करने के लिए पूर्व अनुमति हेतु 1 माह के स्थान पर 15 दिवस पूर्व करने के प्रस्ताव को मान्य किया गया।**

10. सीटिंग फीस रु. 1000/– से बढ़ाकर रु. 1500/– किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः **(i) माननीय कार्यपरिषद् सदस्यों, (ii) विश्वविद्यालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्तियों हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों, (iii) विश्वविद्यालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु नियुक्त सदस्यों एवं (iv) वित्त समिति के सदस्यों को सीटिंग फीस रु. 1000/– से बढ़ाकर रु. 1500/– किये जाने का अनुमोदन किया गया।**

अधिष्ठाता छात्र कल्याण से संबंधित प्रस्ताव

11. SAUFEST 2019 के सफल आयोजन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सूचना ग्रहण की गई।**

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

12. केन्द्रीय क्रय समिति में सदस्य मनोनीत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2019–20 के लिए केन्द्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य के रूप में डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल, आचार्य, इतिहास अध्ययनशाला का एवं वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में डॉ. ए.के. गुप्ता, आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला को मनोनीत किया गया।**

13. दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि को मानदेय 11,000/– से बढ़ाकर रु. 25,000/– किये जाने के संबंध में।

निर्णय : **24 वाँ दीक्षांत–समारोह के आमंत्रित मुख्य अतिथि को मानदेय 11,000/– से बढ़ाकर रु. 25,000/– दिए जाने का अनुमोदन किया गया। यह आगे दीक्षांत समारोह के लिए लागू रहेगा।**

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. पी–एच.डी. उपाधि का अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : **दिनांक 21.01.2019 से 02.03.2019 (अधिसूचना क्र. 3181 से 3237 तक) कुल 57 छात्र/छात्राओं को माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार पी–एच.डी. हेतु निर्गमित अधिसूचना का अनुमोदन किया गया।**

02. वार्षिक परीक्षा 2019 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम राशि 1,24,90000.00 (एक करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार रुपये) एवं 1200000.00 (बारह लाख रुपये मात्र) के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2019 हेतु 58 परीक्षा केंद्रों को कुल अग्रिम राशि 1,24,90000.00 (एक करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार रुपये) एवं शेष 12 परीक्षा केंद्रों को कुल अग्रिम राशि 1200000.00 (बारह लाख रुपये मात्र) का अनुमोदन किया गया।**

03. www.prsu.ac.in वेबसाइट रि–डिजाइनिंग कार्य (अनुमानित लागत लगभग 8,00,000/– (आठ लाख रुपये)) M/s Entit Consultancy से कराये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : M/s Entit Consultancy Services, GE Road, Raipur Dyanamic home Page-180 रुपये प्रति पेज Static Page-650/- रुपये प्रति पेज एवं Dynamic Page- 1120/– रुपये प्रति पेज तथा Installation of Website एवं Testing के लिए 80/– रुपये दर से कार्य कराने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकाय का गठन करने के लिये मनोनयन हेतु प्रस्तावित दो सदस्यों का अनुमोदन करना।

निर्णय : संबद्ध 88 अशासकीय महाविद्यालयों के शासी निकाय के गठन हेतु संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तावित दो–दो सदस्यों के मनोनयन का अनुमोदन किया गया।

05. वार्षिक परीक्षा 2019 के 8 नोडल मूल्यांकन केंद्रों को अग्रिम राशि रु. 1,85,50,000 (एक करोड़ पच्यासी लाख पचास हजार रुपये) प्रदान किए जाने बाबत्।

निर्णय :वार्षिक परीक्षा 2019 के 8 (आठ) नोडल मूल्यांकन केंद्रों को अग्रिम राशि रु. 1,85,50,000 (एक करोड़ पच्यासी लाख पचास हजार रुपये) प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

06. विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंधित फर्म न्यू भारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विस के भुगतान हेतु होने वाले अतिरिक्त व्यय के संबंध में।

निर्णय : विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंधित फर्म न्यू भारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विस के भुगतान हेतु होने वाले अतिरिक्त व्यय सामान्य मद के Eng. Unit (e) Renovation of Building BMW मद में आबंटित राशि रुपये 110.00 लाख के अद्यतन शेष राशि रुपये 81.69 में से राशि रुपये 20.00 लाख Security Arrangement Fund में स्थानांतरण एवं बजट पुनर्विनियोजन हेतु मान्य किया गया।

07. मानवविज्ञान अध्ययनशाला के DST-FIST के अंतर्गत Body Composition Analyzer एवं Water Purification System टेण्डर के माध्यम से प्रावधानित राशि 5,67,000/– (पांच लाख सड़सठ हजार रुपए) क्रय किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मानवविज्ञान अध्ययनशाला के लिये DST-FIST के अंतर्गत Body Composition Analyzer एवं Water Purification System टेण्डर के माध्यम से प्रावधानित राशि 5,67,000/– (पांच लाख सड़सठ हजार रुपए) क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.03.2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

09. उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण के देयक का भुगतान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : उपाधि प्रोफार्मा मुद्रण हेतु अनुमानित व्यय रु. 31,14,000/– तथा @18% GST अतिरिक्त कुल अनुमानित व्यय रु. 34,25,400/– (चौंतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ रुपए) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ मुद्रक द्वारा मुद्रण किये गये 20400 उपाधियों के लिए प्रथम देयक राशि रु. 14,44,320/– (रुपये चौदह लाख चौंवालिस हजार तीन सौ बीस रुपए मात्र) की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. भू–विज्ञान एवं जल संसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रु. 10,000/– से बढ़ाकर रु. 20,000/– किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भू–विज्ञान एवं जल संसाधन प्रबंधन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रु. 10,000/– से बढ़ाकर रु. 20,000/– किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

11. डॉ. व्यास नारायण दुबे, तत्कालीन समन्वयक पुनर्मूल्यांकन इकाई को पुनर्मूल्यांकन हेतु वर्ष 2016 में रु. 25.00 लाख का अग्रिम दिया गया था जिसके विरूद्ध उनके द्वारा समायोजन हेतु व्हाउचर्स प्रस्तुत किया गया। प्रथम दृष्ट्या व्हाउचर्स संदिग्ध होने के कारण पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं एवं हस्तलिपि विशेषज्ञ से इस बाबत् जानकारी चाही गई, जिसके अनुसार व्हाउचर्स कूटरचित पाया गया। इस बाबत् विधिक अभिमत लिया गया, जिसके अनुसार यह एक आपराधिक कृत्य है एवं इसकी विवेचना प्राथमिकी के माध्यम से पुलिस कर सकती है।

अतः डॉ. व्यास नारायण दुबे के विरूद्ध सरस्वती नगर पुलिस थाना में भा.द.वि. के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : डॉ. व्यास नारायण दुबे के विरूद्ध सरस्वती नगर पुलिस थाना में भा.द.वि. के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का अनुमोदन किया गया।

12. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 01.092018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

26.3.19

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 8401/अका./का.प/2019 **रायपुर, दिनांक 26 /03/2019**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)